

मध्य-पूर्व भारत : पूंजी की आखेटक भूमि

“... यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी भाग के अन्य सभी देशों की तरह, हमें भी न सिर्फ पूंजीवादी उत्पादन के विकास से ही, बल्कि इस विकास की अपूर्णता से भी कष्ट भोगना पड़ रहा है। आधुनिक बुराइयों के साथ-साथ उत्पादन की कालातीत विधियों के निष्क्रिय रूप से अभी तक बचे रहने से जनित और सामाजिक तथा राजनीतिक असंगतियों के अपने अनिवार्य सिलसिले समेत विरासत में मिली बेशुमार बुराइयां हमें कुचल रही हैं। हमें न केवल जीवित, बल्कि मृत चीजें भी सता रही हैं।” (कार्ल मार्क्स, ‘पूंजी के पहले जर्मन संस्करण की भूमिका, पृष्ठ 16, पैरा- 5, पूंजी, खण्ड -1, प्र.प्र. मार्क्स)

कार्ल मार्क्स ने उपरोक्त शब्द 25 जुलाई, 1867 को ‘पूंजी’ की भूमिका में जर्मनी के संदर्भ में कहे थे। जर्मनी के संदर्भ में कहे गये मार्क्स के ये शब्द आज भारत के संदर्भ में सटीक ढंग से लागू होते हैं। खासकर भारत में जिस ढंग से पूंजीवादी विकास हुआ (और हो रहा है) को अगर मार्क्सवादी नजरिये से समझना हो तो यह बात हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। मध्य-पूर्व भारत (झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश) सहित पूरे भारत में हम पाते हैं कि भारत के मजदूरों, किसानों सहित आदिवासियों के जीवन के भयावह कष्ट व त्रसदी पूंजीवाद के विकास तथा ‘उत्पादन की कालातीत विधियों’ के साथ-साथ मौजूद होने से वहां पहुंची हुई है कि तथ्यों व घटनाओं का वर्णन भी उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता है। यद्यपि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और पूंजीवादी उत्पादन सम्बंध कभी खुलेआम तो कभी चुपचाप, निरंतर और निर्ममतापूर्वक भारतीय समाज में अपना वर्चस्व कायम करते जा रहे हैं। इसे आम तौर पर ‘विकास’ की संज्ञा दी जाती है।

आज भारतीय समाज में यह ‘विकास’ (development) एक लोकप्रिय व आर्कषक नारा व मुहावरा बन गया है। संसदीय पार्टियों से लेकर आम जन समूहों के बीच उठ खड़े होने वाले स्वतः स्फूर्त संगठन इस ‘नारे’ को अपनी राजनीतिक कार्यदिशा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ‘विकास’ शब्द ने आज भारतीय समाज में न केवल एक संदर्भ बिंदु का स्थान पा लिया है बल्कि यह कई बातों को तय करने का मापदण्ड भी बन गया है। भारत का पूंजीपति वर्ग लगातार अपने पार्टियों व प्रचार माध्यमों के जरिये इसे पवित्र व मासूम आवरण प्रदान कर रहा है। और इस तरह ‘विकास’ के चरित्र और प्रकृति की चर्चा पर पूर्ण विराम लगा कर इस ‘विकास’ के मार्ग में जो कोई भी अवरोध बन रहा है उसे वह निर्ममतापूर्वक कुचल दे रहा है। इस मामले में यह अखिल भारतीय परिघटना है। इस हमले के शिकार भारत के सर्वहारा, अर्द्ध सर्वहारा, छोटे-मझौले किसान, नौजवान, स्त्रियों सहित विशाल आदिवासी समुदाय हैं। इस हमले के प्रति उत्तर में बड़े-बड़े जन आंदोलन जन्म ले रहे हैं। खासकर किसान व आदिवासी समुदाय हर तरह से भारत के शासक वर्ग को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सिंगूर, नंदीग्राम, कलिंगनगर, रायगढ़, जैतपुर, टप्पल, भट्टा-पारसौल आदि स्थान इस विकास के नये-नये युद्ध स्थल हैं।

21 मई, 2011 की टाइम्स ऑफ इण्डिया (TOI) की एक रिपोर्ट (in absence of clear Policy, 40 districts in over 17 states roiled in land stir) के अनुसार,

“पिछले तीन सालों में, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन 17 राज्यों के 40 जिलों में फैल गये हैं। इन संकटग्रस्त जिलों में करीब दस करोड़ लोग रहते हैं। लगभग 4 लाख एकड़ भूमि दांव पर लगी है जो कि अधिकांशतः उपजाऊ व खेती में प्रयोग की जा रही है। इन सभी तनाव केन्द्रों (hot spots) पर किसान बड़ी संख्या पर सड़कों और खेतों में निकलकर पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हाल में जैसा कि ग्रेटर नोयडा के भट्टा पारसौल में दिखाई दिया दर्जनों ने अपनी जानें खोयी हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। बहुत सारे स्थानों में परियोजनायें या तो फंसी हुई है या फिर भारी सुरक्षा बलों की मदद से धीमी गति से आगे खिसक रही हैं। साफ तौर पर एक तरफ सरकार और जमीन चाहने वाली कंपनियां और दूसरी तरफ जमीन के मालिक किसान हैं और उनके बीच गहरी खाई है।

ढेरों राज्यों में विशाल योजनायें और अधिक जमीन लेने के लिए बनायी गयी हैं हालांकि हालिया प्रदर्शनों ने चीजों की एक झलक दिखा दी है। रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्रदेश में उदाहरण के लिए 12 लाख एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी है। पड़ोस में कर्नाटक में भी एक बड़ी योजना के तहत 2 लाख एकड़ जमीन आने वाले वर्षों में ली जानी है। उड़ीसा और झारखंड जहां विशाल खनिज सम्पदा है ने खनिज कम्पनियों से क्रमशः 49 और 60 एम ओ यू में हस्ताक्षर किये हैं और स्वाभाविक ही है कि इसके लिए अनिर्धारित स्तर पर भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

तीन साल पहले तक भूमि अधिग्रहण की मुख्य वजह विभिन्न सेज व कुछ विशाल खनन क्षेत्रों की स्थापना करना था। 2008 में 92,000 एकड़ भूमि विरोध और विवादों में फंस गई जिसमें 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। एक अनुमान के अनुसार 2.4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए जो कि मूलतः स्टील, अल्यूमीनियम, ऊर्जा और खनन से संबंधित थे। हालांकि विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी ने भी भूमि अधिग्रहण के प्रयासों पर व्यापक रूप से असर डाला और आंशिक तौर पर कीमतों ने भी इसे धीमा किया। कई घटनाओं में सेज भूमि के डी-नोटिफिकेशन का कारण यह भी रहा है कि कम्पनियों को खरीददार ही नहीं मिले।

वर्तमान दौर में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिखायी दे रहा है साथ ही खनन क्षेत्रों में तेजी (बूम) जारी है। भूमि अधिग्रहण के जो प्रयास आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में चल रहे हैं उन में मुख्य तौर पर पावर प्लान्ट्स (जिसमें थर्मल, हाइड्रो व न्यूक्लियर तीनों तरह के शामिल हैं) हावी हैं।” (TOI, 21 मई 2011, अनुवाद हमारा) (इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में कितनी भूमि अधिग्रहण की जानी है को देखने के लिए तालिका-1 में निगाह डालें)

टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट पूरे भारत में भूमि अधिग्रहण को लेकर जो कवायद चल रही है की एक तस्वीर पेश कर देती है। वह किसानों, आदिवासियों आदि के आंदोलन व विरोध के पीछे सही भूमि अधिग्रहण नीति के न होने को जिम्मेदार ठहराती है। सही भूमि अधिग्रहण नीति की आवश्यकता पर भारत का पूंजीपति वर्ग, भारत की संसद, पार्टियां व बुद्धिजीवी वर्ग लगातार जोर दे रहे हैं। वे ‘सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे’ की तर्ज पर कोई भूमि अधिग्रहण नीति बनाने के लिए प्रयासरत हैं। किसानों, खेत मजदूरों, आदिवासियों का ही प्रतिरोध है जिसने शासक वर्ग को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर किया है। हालांकि भारत का शासक वर्ग साम-दाम-दण्ड-भेद किसी भी तरह से किसानों आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण या अपहरण कर लेना चाहता है। नयी भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा यू पी ए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा जून माह में की गयी और उसी की तर्ज पर मायावती ने भी भट्टा पारसौल की घटना के बाद एक नयी भूमि अधिग्रहण नीति घोषित की है। इन नीतियों में पूंजीवादी भूस्वामियों, फार्मरों और धनी किसानों के हितों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। उन्हें भूमि के ऊंचे दाम दिये जाने हैं और इस तरह उस लूट का साझीदार बनाया गया है जिसकी वे मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें भी अपनी जमीन बेचने पर वही अधिकतम लाभ हासिल होना चाहिए जो कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों व बिल्डरों को हो रहा है। इस तरह से भारत के एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग ने देहाती पूंजीपतियों व धनी किसानों से

अपने अंतर्विरोध को हल करने का जहां एक तरफ प्रयास किया वहीं दूसरी तरफ इससे वह जगह-जगह हो रहे किसान प्रतिरोध व संघर्षों की आग को ठण्डा करना चाहता है। आम तौर पर जो किसान प्रतिरोध हुए हैं उनका नेतृत्व इस वर्ग के हाथ में ही रहा है। इस वर्ग का नजरिया जमीन बचाने का नहीं उसकी ऊंची कीमत पाने का रहा है। और अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए यह शेष किसान आबादी को अपने पीछे लामबंद करता रहा है।

तालिका-1		
“अधिग्रहण के लिए महासंग्राम”		
भूमि विवाद में : 17 राज्यों में 40 जिलों में 3.69 लाख एकड़		
राज्य	थजले	भूमि एकड़ में
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, चंदौली, जी.बी.नगर	176,336
महाराष्ट्र	नागपुर, रायगढ़, रतनगिरी, पुणे	45,600
छत्तीसगढ़	बस्तर, जंजगीर-चम्पा	42,063
उड़ीसा	जगतसिंहपुर, जजपुर, कालाहांडी, गंजम	41,800
झारखंड	कुन्ती, गुमला, हजारीबाग	21,000
गुजरात	भावनगर, कच्छ	6,529
हिमाचल प्रदेश	कुल्ली, किनोर, सिरमौर, चम्बा	2,817
बिहार	औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर	1,744
हरियाण	फतेहाबाद	1,500
पंजाब	मेहाली	770
चंडीगढ़		167
मेघालय	ईस्टखासी	111
केरल	कोची	100
आन्ध्र प्रदेश	पूर्वगोदावरी, महबूबनगर, श्रीकाकुलम, नैल्लोर, विशाखापट्टनम्	21,739
तमिलनाडू	मदुरई, तिरुवल्लूर, तूतीकोरीन	5,000
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	1,800

स्रोत : टाइम्स ऑफ इण्डिया 21-05-11

अक्सर ही मझौले और छोटे किसान धनी किसान व फार्मरों के पीछे लामबन्द होते रहे हैं। उनकी तबाही-बर्बादी तीव्र गति से जारी है इन आंदोलनों के फलस्वरूप कदाचित ही ऐसा हुआ है कि उनकी जमीन के अपहरण की प्रक्रिया कुछ रुकी हो। मुआवजा एकदम बाजार भाव अथवा उससे बढ़कर मिलने पर भी, उनकी तबाही-बर्बादी पर लगाम लगाना मुश्किल है। मझौले व छोटे किसानों की तबाही-बर्बादी पर लगाम तभी लग सकती है जबकि वे क्रांतिकारी संघर्षों में उतरें। ये संघर्ष भी तभी सफल हो सकते हैं जब उन्हें सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व व दृढ़ सहयोग मिले। धनी किसान व फार्मर अपने हितों को साधकर इस वर्ग को उगने और बर्बाद होने को छोड़कर आगे बढ़ जाते रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इण्डिया, जो कि भारत के एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के हितों की कुशलतापूर्वक व्याख्या व सूत्रीकरण करता है, इस रिपोर्ट के माध्यम से अपने वर्ग और राज्य को लगातार गहराते संकट के लिए सावधान कर रहा है। टाइम्स ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट के इतर यदि अतीत की पड़ताल की जाए तो एक अनुमान के अनुसार 1947 से 2004 के बीच में 2.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि से 6 करोड़ भारतीय नागरिक विस्थापित किये जा चुके हैं जिनमें से कम से कम 40 फीसदी आदिवासी और 20 फीसदी दलित हैं। (EPW, 12 March 2011, Page 67)

उपरोक्त अनुमान के अनुसार देखा जाए तो भारत में पूंजीवादी विकास की कीमत सबसे अधिक आदिवासी व दलित समुदाय ने चुकायी है। विस्थापित हुए लोगों में दोनों का योग 60 फीसदी जा पहुंचता है।

इस तरह भारत में पूंजीवादी विकास के अनिवार्य परिणाम जो सामने आ रहे हैं, वह हैं: तीव्र गति से होता सर्वहाराकरण, छोटे-मझौले किसानों सहित अर्द्ध सर्वहारा आबादी का सम्पत्तिहरण, भूमि से बड़े पैमाने पर बेदखली, विस्थापन, शहरी आबादी में होती वृद्धि, गरीबी-भुखमरी व बेरोजगारी का बेहद उच्च स्तर, इत्यादि। और उपरोक्त परिणाम के खिलाफ प्रभावित आबादी का संघर्ष कदम-कदम जारी है और इस संघर्ष के दमन के लिए भारतीय राज्य दिनोदिन और अधिक अत्याचारी होता जा रहा है।

मध्य-पूर्व भारत में पिछले करीब एक दशक से जो घट रहा है वह कई मामलों में अभूतपूर्व है। सलवा जुद्ध के कारण सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 644 गांवों को खाली करा दिया गया। सलवा जुद्ध के कारण छत्तीसगढ़ में भयानक दहशत का माहौल रहा है। चोतरफा

निंदा और स्वयं भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई आलोचना के बावजूद राज्य द्वारा प्रायोजित यह गुण्डावाहिनी अपना कहर आदिवासियों पर बरसाना जारी रखी हुई है। अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम तीन लाख लोग इसकी वजह से विस्थापित हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग जेलों में बंद हैं। राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा में मरने वालों की संख्या कई हजार में है। अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस ने सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसलों को आग के हवाले किया है और आदिवासियों के मवेशियों से लेकर उनके पास मौजूद हर उपयोगी वस्तु, पैसा, जेवरात आदि को लूट लिया है।

छत्तीसगढ़ की तरह ही झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस ने 'आंतक राज' कायम किया हुआ है। फर्जी मुठभेड़ें एकदम आम बात हो गयी हैं। यहां पर हालत युद्ध के मैदान से बने हुए हैं।

मध्य-पूर्व भारत के पिछले एक दशक से 'युद्ध क्षेत्र' में बदलने की सबसे बड़ी वजह इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, अल्यूमीनियम, क्रोमाइट, बाक्साइट जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भण्डार हैं। इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

भारत भारी पैमाने पर अयस्क और अन्य खनिज पदार्थों का निर्यात करता है। भारत सरकार के खान मंत्रालय के अनुसार भारत ने वर्ष 2009-10 में अयस्क और खनिज पदार्थों का जो निर्यात किया उसका अनुमानतः मूल्य 1,27,831 करोड़ रुपया है। इसके मुकाबले आयात 5,24,830 करोड़ रुपये का है। इस आयात में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम (कूड) का है जो कि कुल आयात का लगभग 69.72% है।

भारत के निर्यात में तराशे हुए हीरे (डायमण्ड कट) का हिस्सा 66.24% है और साथ ही इसका आयात में हिस्सा (डायमण्ड अनकट) 14.16% है। अगर आयात व तराशे गये हीरे के निर्यात को छोड़ दिया जाय तो भारत खनिज पदार्थों के सबसे बड़े निर्यातक देशों में एक है।

भारत के निर्यात में लोहे का हिस्सा 22.19%, ग्रेनाइट- 3.91%, अल्यूमीनियम का हिस्सा 0.75% है।

लौह अयस्क भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तु है। भारत का शासक वर्ग इसका बेतहाशा दोहन कर रहा है। भारत का लौह अयस्क के भण्डार के मामले में दुनिया में स्थान सातवां है परन्तु भण्डार के सापेक्ष उत्पादन में स्थान पहला है और इसी तरह भण्डार के सापेक्ष निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। तालिका-2 देखें।

इस तालिका को गौर से देखने में हम पाते हैं कि दुनिया के साम्राज्यवादी मुल्क यथा आस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा, रूस अपने लौह अयस्क भण्डार का बेहद मामूली हिस्सा ही निर्यात करते हैं। लगभग यही स्थिति उत्पादन के मामले में भी है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा लौह अयस्क निर्यातक देश है।

भारत में खनिज पदार्थों के बेतहाशा दोहन को तालिका 3 से भी समझा जा सकता है। बाक्साइट, क्रोमाइट, जिप्सम, मैगनीज, कोयला, लौह अयस्क आदि में वर्ष 1980-81 के उत्पादन की तुलना यदि हम वर्ष 2007-2008 से करें तो हम पायेंगे कि कई-कई गुना की वृद्धि हुई है। आसानी से यहां से यह बात समझ में आ सकती है कि भारत के झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भारत का शासक वर्ग किसी भी हद तक जाकर दमन क्यों कर रहा है। क्यों खनिज पदार्थों के विशाल भण्डारों के दोहन के लिए देशी-विदेशी पूंजीपतियों को खुली लूट की छूट दे रहा है।

तालिका-2

लौह अयस्क : विश्व भण्डार, उत्पादन, निर्यात (2007)

देश	भण्डार (Reserve Base) मिलियन टन	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन / भण्डार	निर्यात / उत्पादन	निर्यात / भण्डार
आस्ट्रेलिया	25,000	299.1	266.8	1.2%	89.20%	1.07%
ब्राजील	11,000	336.5	269	3.06%	79.4%	2.45%
कनाडा	2,500	33.2	28.3	1.33%	85.24%	1.13%
सीआईएस (रूस सहित राष्ट्र मंडल)	63,000	201.4	62.6	0.32%	31.08%	0.10%
भारत	4,000	206.9	93.7	5.17%	45.29%	2.34%
भारत का स्थान	7	4	3	1	6	2
दक्षिण अमेरिका	1,500	41.3	30.3	2.75%	73.3%	2.02%
स्वीडन	5,000	24.7	19.4	0.49%	78.50%	0.39%
स.रा. अमेरिका	14,000	52	9.3	0.37%	17.88%	0.07%
वेनेजुएला	1,500	22.5	5.9	1.50%	26.22%	0.39%
चीन	15,000	332.3	0	2.22%	0.08%	0.00%
विश्व	160,500	1632.5	822.4	1.02%	50.38%	0.51%
	-	1482.6	759.1	-	51.02%	-

स्रोत : EPW May 15,2010, Page-50

तलिका-3					
खनिज	2007-08#	2006-07*	2005-06+	2004-05	1980-81
	000 टन में				
बाक्साइट	24,678	15,661	12,596	11,964	1,932
क्रोमाइट	5,106	4,096	3,714	3,621	324
तंबा	175	150	125	137	NA
जिप्सम	3,037	2,889	3,291	3,685	948
सीसा	124	107	96	82	19
मैगनीज	2,512	2,143	1,906	2,386	1,632
थ्रजंक	1,017	948	889	666	50
कोयला	456	431	407	383	114
लौह अयस्क	207	181	165	146	42
लाइम Stone	194	179	170	166	30.2
पेटोलियम (कूड)	36	34	32	34	10.5
सोना (किग्रा)	3,400	2,490	3,047	3,528	2,412

स्रोत : SOI 2008-09, Page 65

अनुमानतः (Estimate) * तदर्थ (Provisional) + पुनर्निधारित (Revised) * लागू अनुपात (Implementation ratio) = विभिन्न स्तर पर लागू होने वाली परियोजनाओं में निवेश की स्थिति कुल योजनानुसार निवेश का प्रतिशत में अनुपात IR investment in projects under various stages of implementation as a proportion of total investment.

तलिका 4				
राज्यवार निवेश परियोजनाएं				
	परियोजनाएं संख्या	निवेश करोड़ रुपये में	लागू अनुपात (Implementation ratio)	कुल में हिस्सा # %
आन्ध्र प्रदेश	2,423	326,338	50.0	8.7
असम	498	39,496	61.0	1.1
बिहार	595	110,133	42.3	2.9
दिल्ली	455	40,956	55.2	1.1
गुजरात	1,384	288,018	41.1	7.6
हरियाणा	972	94,576	31.5	2.5
हिमाचल प्रदेश	360	52,799	63.8	1.4
झारखंड	621	180,130	25.5	4.8
कर्नाटक	2,026	201,067	52.5	5.3
केरल	712	81,363	34.4	2.2
मध्य प्रदेश	1,561	187,627	30.6	5.0
महाराष्ट्र	5,411	397,582	49.1	10.6
उड़ीसा	971	280,031	29.8	7.4
पंजाब	681	64,682	55.8	1.7
राजस्थान	896	65,974	60.2	1.8
तमिलनाडु	1,915	233,862	39.5	6.2
उत्तर प्रदेश	1,531	167,729	44.0	4.5
पश्चिम बंगाल	1,326	252,647	24.9	6.7
कुल भारत (सभी अन्य को मिलाकर)	27143	3768506	41.2	100

स्रोत : SOI (2008-09 Page 147)

तालिका 4 में सितम्बर 2008 राज्यवार निवेश परियोजनाएं के आंकड़े दिये हुए हैं। ये आंकड़े यद्यपि लगभग तीन वर्ष पुराने हैं परन्तु इनके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन राज्यों को भारत सरकार खास तौर पर माओवादी हिंसा से ग्रस्त राज्य बताती है। उन राज्यों में बड़ी संख्या में निवेश की योजनायें हैं जिनमें हजार करोड़ रुपये का नहीं बल्कि कई लाख करोड़ रुपये का निवेश दांव पर लगा है। यथा आन्ध्र प्रदेश में सितम्बर 2008 में परियोजनाओं की संख्या 2,423 थी जिनमें 326ए.338 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।

इस तालिका में चौथा कालम लागू अनुपात (**implementation ratio**) यह बताता है सितम्बर 2008 तक इस योजना का कितना प्रतिशत लागू हो चुका था। यह साधारण से दिखने वाला अनुपात किसी राज्य सरकार की दक्षता का सूचक है। मतलब

यह कि उस राज्य की सरकार ने किसी परियोजना को लागू करने में कितनी तत्परता दिखायी है। इसका दूसरा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि किस तत्परता से उस राज्य सरकार ने किसानों, अर्द्ध सर्वहारा, सर्वहारा व आदिवासी आबादी के प्रतिरोध को कुचला है और किस तत्परता से देशी-विदेशी पूंजीपतियों की निवेश परियोजना अर्थात् 'विकास' का पथ उन्मुक्त किया है। इसमें उस राज्य सरकार के द्वारा अपने विभागों में पूरी कुशलता के साथ देशी-विदेशी पूंजीपतियों की सेवा भी शामिल है। यानी लाइसेन्स, क्लीयरेंस आदि लेने में उन्हें कम से कम झंझट या लेटलतीफी का सामना न करना पड़े। इस तालिका को अगर हम गौर से देखें तो हम पायेंगे कि हिमांचल प्रदेश, असम, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश आदि उस वक्त अब्बल थे। निवेश को लेकर राज्यों के बीच चलने वाली होड़ के बीच यह स्थिति हर वर्ष तेजी से बदल सकती है। (प्रभात पटनायक ईपीडब्ल्यू में (EPWJuly 2010) एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखते हैं टाटा को पश्चिम बंगाल से नेनो प्लांट को गुजरात में शिफ्ट करने के लिए गुजरात सरकार ने 31,000 करोड़ रुपये के बराबर की कर राहत आदि दी।) 2008 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः आज की स्थिति का मोटा अनुमान इन्हीं आंकड़ों के आधार पर लगाया जा सकता है।

मध्यपूर्व भारत के राज्यों में जहां भारत के विशाल खनिज भंडार स्थित हैं के एक राज्य झारखंड जो कि तथाकथित माओवादी हिंसा से सबसे अधिक ग्रसित रहा है की चर्चा करें तो हमें यह बात बहुत साफ तौर में समझ में आ जायेगी कि क्यों भारत व राज्य सरकार भारी पैमाने पर इस राज्य में 'सैन्य कार्यवाही' कर रही है। क्यों आदिवासी और राज्य-केन्द्र सरकार के बीच टकराव तीव्र है और क्यों उन्हें किसी भी तरह से उनके मूल निवास स्थानों से निर्ममतापूर्वक खदेड़ा जा रहा है। तथ्यों के अनुसार झारखंड जो कि एक समय आदिवासी बहुल राज्य था आज उनकी आबादी कुल आबादी की महज 27.67 फीसदी है।

तालिका 5					
सामाजिक समूहों के रूप में जनसंख्या वितरण (प्रतिशत में) : राज्यों व अखिल भारतीय स्तर पर (2004-2005)					
राज्य	ग्रामीण				
	अनुसूचित जन जाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अन्य	कुल
आन्ध्र प्रदेश	8.35	19.51	47.62	24.32	100
असम	18.9	9.6	17.46	53.75	100
बिहार	0.57	23.02	59.94	16.32	100
छत्तीसगढ़	35.24	14.56	44.76	05.45	100
गुजरात	20.47	11.21	44.71	23.62	100
हरियाणा	0.27	28.01	32.2	39.52	100
झारखंड	29.89	13.02	45.75	11.35	100
कर्नाटक	8.37	20.25	38.84	32.52	100
केरल	1.92	11.19	59.39	27.51	100
मध्य प्रदेश	25.84	18.16	40.08	15.93	100
महाराष्ट्र	13.6	14.83	35.74	35.83	100
उड़ीसा	25.64	17.58	39.4	17.33	100
पंजाब	0.38	40.07	21.43	38.12	100
राजस्थान	10.06	20.96	46.6	16.38	100
तमिलनाडु	0.54	27.06	70.54	01.86	100
उत्तर प्रदेश	0.49	25.4	54.64	19.37	100
प. बंगाल	8.18	28.92	7.05	55.79	100
कुल भारत	10.57	20.92	42.75	25.71	100

स्रोत : GOI (2007,epw Oct-25,2008)

तालिका 5 जारी					
सामाजिक समूहों के रूप में जनसंख्या वितरण (प्रतिशत में) : राज्यों व अखिल भारतीय स्तर पर (2004-2005)					
शहर					
राज्य	अनुसूचित जन जाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अन्य	कुल
आन्ध्र प्रदेश	2.54	14.9	44.68	37.88	100
असम	7.29	13.15	18.94	60.36	100
बिहार	0.67	10.9	57.64	30.33	100
छत्तीसगढ़	16.79	12.36	40.50	30.35	100
गुजरात	3.93	9.09	28.8	56.18	100
हरियाणा	0.32	18.5	24.98	56.20	100
झारखंड	9.63	12.22	41.17	36.98	100
कर्नाटक	2.70	12.73	39.38	45.19	100
केरल	0.48	8.28	62.88	28.36	100
मध्य प्रदेश	6.11	14.86	37.30	41.73	100
महाराष्ट्र	3.11	17.22	23.79	55.88	100
उड़ीसा	9.00	13.69	30.53	46.78	100
पंजाब	0.59	27.15	18.18	54.08	100
राजस्थान	2.57	20.82	37.63	38.98	100
तमिलनाडु	0.64	14.52	74.74	10.09	100
उत्तर प्रदेश	0.45	13.65	45.37	40.53	100
प. बंगाल	1.40	20.11	4.63	73.83	100
कुल भारत	2.92	15.64	35.6	45.81	100

स्रोत : GOI (2007,epw Oct-25,2008)

झारखण्ड राज्य में करीब 30 श्रेणियों के आदिवासी हैं जिनमें संथाली (18.01लाख), उरांव (8.75 लाख) मुण्डा (7.32 लाख) और हो (5.50 लाख) प्रमुख हैं। झारखण्ड में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा (शहरी आबादी का लगभग दस फीसदी) शहरों में निवास करने लगा है। (कृपया तालिका 7A देखें)। ग्रामीण आबादी

में आदिवासी समुदाय का हिस्सा लगभग एक तिहाई बनता है। कमोबेश यही स्थिति अन्य आदिवासी बहुल राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की भी है। यह तालिका यह भी दिखलाती है कि छत्तीसगढ़, झारखण्ड व उड़ीसा की शहरी आबादी में लगभग 10 फीसदी आदिवासी हैं। इसी तरह से यह तालिका विभिन्न राज्यों में विभिन्न जाति समूहों की शहर और ग्रामीण स्तर पर विभाजन को दिखलाती है। अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति के लोग जहां ग्रामीण स्तर पर लगभग 11 फीसदी हिस्सा बनते हैं वहीं वे शहरी स्तर पर महज तीन फीसदी हिस्सा बनते हैं। भारत में उत्तरपूर्व राज्यों सहित पूरे देश में अनुसूचित जन जाति समुदाय की आबादी लगभग 8 करोड़ है।

झारखण्ड की खनिज सम्पदा की चर्चा की जाय तो यहां भारत की लगभग एक चौथाई (26 फीसदी) खनिज सम्पदा है। निम्न तालिका बताती है झारखण्ड में कोयला, लोहा, अभ्रक के विशाल भण्डार हैं। तांबे और कोयले का जहां एक तिहाई भण्डार है वहां अभ्रक का लगभग आधा भण्डार झारखण्ड में है। यही वजह है कि देशी-विदेशी पूंजीपतियों के लिए झारखण्ड एक आकर्षक जगह बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लौह कारपोरेशन में एक आर्सेलर-मि्तल ने लगभग 40,000 करोड़ रुपये (9.3 billion डालर) का निवेश किया है जिसके जरिये वह प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन स्टील का उत्पादन सन् 2012 से करेगा। झारखण्ड में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो वह इस तरह के समझौते बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर देशी कम्पनियों से करती रही है और इसकी संख्या 2008 के अंत तक 112 से अधिक थी।

झारखंड में खनिज भंडार			
खनिज	भारत (दस लाख टन में)	झारखंड (दस लाख टन में)	भारत में झारखंड का प्रतिशत
तंबा	325	110	33.85
कोयला	192359	62085	32.98
अभ्रक	3827	1780	46.51
लेहा	12745	2972	23.32
ग्रेनाइट	3.1	0.53	17.19
काइनाइट	2715	113	4.50
स्रोत : इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स(1992)			

झारखण्ड की तरह उड़ीसा भी खनिज सम्पदा के मामले में एक समृद्ध राज्य है। हाल के वर्षों में उड़ीसा पहले कलिंगनगर की घटना जिसमें एक दर्जन से अधिक आदिवासी टाटा स्टील के प्लांट का विरोध करते हुए पुलिस द्वारा मारे गये थे के कारण तथा फिर दक्षिण कोरिया की विशालकाय कम्पनी पास्को की परियोजना के कारण चर्चा के केन्द्र में आया। उड़ीसा उन राज्यों में भी है जो 'माओवादी हिंसा' से सबसे अधिक प्रभावित है। इस सबके साथ उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसकी ग्रामीण आबादी में एक चौथाई आबादी (लगभग 25.64 प्रतिशत) आदिवासी हैं। इसकी लगभग आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है।

उड़ीसा देश में क्रोमाइट, ग्रेफाइट, बाक्साइट, मैंगनीज व लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों में है। उड़ीसा भारत में धातुओं के रुबी (ruby) और प्लेटिनम ग्रुप का एकमात्र स्रोत है। उड़ीसा में भारत के कुल निकेल अयस्क का 95 फीसदी, कोबाल्ट अयस्क का 69: बाक्साइट का 55:, लौह अयस्क (हेमेटाइट) का 33:, पायरोफालाइट (pyrophyllite) का 36%, कोयले का 24% और वेण्ट्रेलियम का 20% भण्डार है। इसके अतिरिक्त कई अन्य खनिज पदार्थों का भी भण्डार यहां मौजूद है। उड़ीसा में स्थित प्रमुख खनिजों के भण्डार, उनके दोहन और उनके द्वारा पैदा किये मूल्य को निम्न तालिका दिखलाती है।

तालिका-7									
कुछ चुने हुए खनिजों के उड़ीसा में देश के सापेक्ष भंडार व दोहन									
खनिज (मिलियन टन में)									
खनिज	1991-92 का भंडार			2003-04 का दोहन			2003-04 का भंडार		
	उड़ीसा	भारत	भारत में उड़ीसा का हिस्सा %	उड़ीसा	भारत	भारत में उड़ीसा का हिस्सा %	उड़ीसा	भारत	भारत में उड़ीसा का हिस्सा %
लौह अयस्क	3,120	11,977	26.0	30.18	120.60	25.0	4,177	12,317	33.9
क्रोमाइट	183	186	98.4	3.19	3.20	99.6	111	114	97.4
कोयला	44,304	186,044	23.8	60.50	361.17	16.6	60,983	221,006	27.6
बॉक्साइट	1,626	2,333	69.7	4.93	10.96	45.0	1,530	3,076	49.7

खनिज समूहों द्वारा पैदा की गयी खनिजों का मूल्य (करोड़ रुपये में)						
खनिज ग्रुप	1994-95	2006-07	%	1994-95	2006-07	-
ईंधन	752.45	3,912.00	14.7	25,526.00	32,619.30	2.1
धातु (Metalic)	480.24	3,547.00	18.1	2,211.00	12,953.70	15.9
गैर धातु	68.01	170.63	8.0	2,993.00	2,905.00	-0.2
कुल	1300.7	7,629.63	15.9	30,730.00	48,478.00	3.9
स्रोत : EPW May-15-2010, Page-63						

तलिका-9						
खनन क्षेत्र में निवेश (संख्या और राशि करोड़ रुपये में)						
राज्य	संख्या अप्रैल 2006	राशि अप्रैल 2006	औसत आकर	संख्या मार्च 2009	राशि मार्च 2009	औसत आकार
आन्ध्र प्रदेश	57	10327	181	67	49607	740
असम	9	3359	373	11	4108	373
बिहार	7	152	22	8	536	67
छत्तीसगढ़.	50	5867	117	60	10966	183
गुजरात	22	8360	380	45	11952	266
झारखंड	25	7913	317	48	13837	288
कर्नाटक	25	2384	95	25	12133	485
मध्य प्रदेश	28	1552	55	33	7579	230
महाराष्ट्र	19	3388	178	17	5741	338
उड़ीसा	30	19588	653	65	147153	2264
राजस्थान	16	5802	363	21	16965	808
तमिलनाडु	15	8571	571	16	10456	654
उत्तर प्रदेश	-	-	-	4	987	247
उत्तराखंड	-	-	-	1	19	19
प. बंगाल	17	2713	160	21	4287	204
अखिल भारत	408	111015	272	519	342588	660

स्रोत : EPW, 15 Mar 2010, Page 64

झारखण्ड और उड़ीसा की तरह छत्तीसगढ़ भी अनेकों खनिजों के मामले में भारत का प्रमुख स्थल तथा कुछ खनिजों के मामले में एकमात्र स्थल है। टिन अयस्क का पूरे भारत में एक मात्र उत्पादक क्षेत्र है। वैलाडीला में लौह अयस्क का प्रसिद्ध भण्डार है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, बाक्साइट जैसे खनिजों का यहां बाहुल्य है। यहां पूरे देश के टिन अयस्क का **38%**, हीरे का **28%**, लौह अयस्क (हेमेटाइट) का **19%** कोयले का **16%** डोलेमाइट का **11%** भण्डार है। इसके अलावा राज्य में दुर्लभ बहुमूल्य पत्थर एलेक्जेंड्राइट व कार्नेपीन के साथ-साथ सकोरंडम गारनेट, क्वार्ट्ज, सिलीकासेट, क्वार्ट्जाइट, फ़्लोराइट, बेरिल, कायनाइट, टाल्क, सोपस्टोन आदि खनिजों का भण्डार भी है।

छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश भी भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में है। विगत वर्षों में खनिज का उत्पादन इस प्रकार रहा है :

तालिका 8

लाइमस्टोन	— 22.31 मिलियन टन
हीरे	— 40.668 हजार टन
लौह अयस्क	— 92 हजार टन
मैंगनीज अयस्क	— 326 हजार टन
बाक्साइट	— 248 हजार टन
तांबा अयस्क	— 74 हजार टन
रॉक फास्फेट	— 155 हजार टन
डोलोमाइट	— 103 हजार टन
कोयला	— 43.0 मिलियन टन

(स्रोत : मनोरमा इयर बुक 2011 पेज.742)

भारत के अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्र पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि हैं। इन राज्यों की विस्तार से चर्चा यहां पर नहीं की जा रही है। यहां हम एक अन्य तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तालिका भारत के विभिन्न राज्यों, खनन क्षेत्रों में अप्रैल 2006 तथा मार्च 2009 तक हुए निवेश को प्रस्तुत करती है। यह तालिका दिखलाती रही है कि अप्रैल 2006 में जहां अखिल भारतीय निवेश की संख्या 408 तथा 1ए11ए015 करोड़ रुपये थी वहीं यह मार्च 2009 में बढ़कर 519 तथा राशि लगभग तीन गुना बढ़कर 3ए42ए588 करोड़ रुपये हो गयी। यही बात दूसरे ढंग से औसत आकार से भी स्थापित होती है। जो यह बताती है कि खनन क्षेत्र में तीन वर्षों में कितना अधिक निवेश हुआ है।

तालिका-9						
खनन क्षेत्र में निवेश (संख्या और राशि करोड़ रुपये में)						
राज्य	संख्या अप्रैल 2006	राशि अप्रैल 2006	औसत आकार	संख्या मार्च 2009	राशि मार्च 2009	औसत आकार
आन्ध्र प्रदेश	57	10,327	181	67	49,607	740
असम	9	3,359	373	11	4,108	373
बिहार	7	152	22	8	536	67
छत्तीसगढ़.	50	5,867	117	60	10,966	183
गुजरात	22	8,360	380	45	11,952	266
झारखंड	25	7,913	317	48	13,837	288
कर्नाटक	25	2,384	95	25	12,133	485
मध्य प्रदेश	28	1,552	55	33	7,579	230
महाराष्ट्र	19	3,388	178	17	5,741	338
उड़ीसा	30	19,588	653	65	147,153	2264
राजस्थान	16	5,802	363	21	16,965	808
तमिलनाडु	15	8,571	571	16	10,456	654
उत्तर प्रदेश	-	-	-	4	987	247
उत्तराखंड	-	-	-	1	19	19
प. बंगाल	17	2,713	160	21	4,287	204
अखिल भारत	408	111,015	272	519	342,588	660

स्रोत : EPW, 15 Mar 2010, Page 64

तालिका-10				
विभिन्न क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर 1999-2000 की कीमतों के आधार पर (प्रतिशत प्रति वर्ष)				
क्षेत्र	1991-92 से 1996-97	1996-97 से 2002-03	2002-03 से 2005-06	2001-02 से 2005-06
कृषि, वन और मतस्य	4.13	1.63	4.70	2.55
उद्योग	7.75	4.71	8.98	8.46
खनन और उत्खनन	4.2	3.97	4.97	5.62
मैन्यूफैक्चरिंग	10.01	4.07	8.17	7.76
पंजीकृत	11.31	4.46	8.57	8.25
अपंजीकृत	7.67	3.3	7.35	6.76
विद्युत, गैस व जल सप्लाई	7.44	4.5	6.00	5.67
विनिर्माण	3.62	6.92	13.50	12.23
सेवाएं	7.36	7.73	9.32	8.86
सकल जी.डी.पी.	6.51	5.41	8.26	7.36

स्रोत : EPW]6 Dec 2008, Page-69

आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में खनन क्षेत्र में भारी निवेश हुआ है परन्तु उड़ीसा में हुआ निवेश अभूतपूर्व है। तीन वर्षों में निवेश संख्या जहां दुगुने से भी अधिक हो गयी वहां निवेश राशि में साढ़े सात गुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुयी है।

यहां हम एक और तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हाल के दशकों की विकासदर को प्रस्तुत करती है। इसमें खनन क्षेत्र पर गौर किया जाय। देखें तालिका-10

इस तरह से हम देखें तो पूरे मध्य-पूर्व भारत में खनन क्षेत्र में भारी पैमाने पर देशी-विदेशी पूंजीपति वर्ग द्वारा निवेश किया जा रहा है। पिछले वर्षों में उड़ीसा तो पूरे देश में गुजरात के बाद प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के मामले में दूसरा राज्य बन गया है। खनन के साथ-साथ इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऊर्जा और बांध परियोजनाएं भी हैं। खास बात यह है कि विशाल खनिज सम्पदा के मालिक ये राज्य हाल के दो दशक में ही, नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद से ही इतनी तेजी से पूंजी के मानचित्र में दर्ज हुए हैं। इन राज्यों में किसी भी पार्टी अथवा गठबंधन की सरकार रही हो पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक छूटें देशी-विदेशी पूंजीपतियों को देती रही हैं। राज्य सरकारों के पूर्ण समर्थन के बावजूद पूंजी निवेश की राह सुगम नहीं रही है। राज्य सरकार तथा विदेशी-देशी पूंजी निवेशकों को कदम-कदम पर स्थानीय आबादी से टकराना पड़ा है। स्थानीय आबादी अपनी भूमि और निवास स्थलों की रक्षा के लिए पूरे प्राण-प्रण से लड़ रही है। कहीं ये लड़ाईयां स्वतः स्फूर्त हैं तो कहीं इनका नेतृत्व माओवादियों से लेकर विभिन्न किस्म के गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं।

झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यदि उत्तर-पूर्व के राज्य छोड़ दिये जायें तो भारत की कुल आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहां निवास करता है। यह आबादी इन राज्यों में उन स्थानों पर निवास करती रही है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र हैं। जैसा कि हम इस लेख में पहले देख आये हैं कि उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कई किस्म के दुर्लभ खनिजों के साथ लोहा व कोयले के विशाल भण्डार मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के इन खनिजों का उत्पादन यद्यपि दशकों से हो रहा है परन्तु अभी भी इन राज्यों में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक अछूते रहे हैं। नई आर्थिक नीतियां लागू होने के साथ इस क्षेत्र में देशी-विदेशी पूंजी को शत-प्रतिशत निवेश करने की छूटें मिली हैं। इन बहुमूल्य खनिजों के दोहन के लिए इन पूंजीपतियों को जहां इन राज्यों ने असामान्य छूटें दी वहां इन पूंजीपतियों के द्वारा निवेश की राशि हजारों करोड़ रुपये में जा पहुंची। रातों-रात ये क्षेत्र पूंजी निवेश की आकर्षक जगह में तब्दील हो गये। टाटा, मित्तल, जिंदल, जैसे देशी पूंजीपतियों के साथ-साथ पास्को जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एक से बढ़कर एक निवेश परियोजनाएं बनाने लगीं और इन परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए इन राज्यों की सरकार बढ़चढ़कर पहलकदमी लेने लगीं। मध्य-पूर्व भारत के इन क्षेत्रों का नजारा आज कुछ ऐसा ही है जैसे किसी जमाने में आस्ट्रेलिया, अफ्रीका व अमेरिकी महाद्वीपों का रहा है। जहां यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इन महाद्वीपों पर कब्जा व इनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए क्रूरता की ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें पढ़-सुनकर आज भी किसी व्यक्ति की रूह कांप जायें। आज मध्य-पूर्व भारत कुछ ऐसी जगह में तब्दील हो चुका है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भारतीय राज्य अपने पूरे दमनतंत्र के साथ किसी भी हद तक जाकर स्थानीय आबादी को उनके मूलस्थानों से उजाड़कर तबाह कर रहा है। हालांकि जो कुछ मध्यपूर्व भारत में आज घट रहा है वह न तो भारत के इतिहास में और न ही दुनिया में पूंजीवादी विकास की दृष्टि से कुछ अनोखा है। यह पूंजीवाद के जन्म से लेकर आज तक की उसकी बेहद सामान्य प्रवृत्ति है। इंग्लैण्ड के सोलहवीं-सत्रहवीं सदी के बाड़ाबंदी आंदोलन और मध्य-पूर्व में आदिवासियों को जिस तरह से खदेड़ा जा रहा है उसमें युग के अंतर के सिवाय लगभग सभी कुछ समान है।

भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से सत्ता प्राप्त करने के बाद नवोदित शासक वर्ग ने क्या रुख अपनाया था इसे उड़ीसा के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। ई पी डब्ल्यू के एक लेख के अनुसार

“सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उड़ीसा में विकास योजनाओं के कारण 1950 से 1993 के बीच 1,446 गांवों से 81,176 परिवारों को विस्थापित किया गया तथा इन योजनाओं के लिए 14,82,626 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। हीराकुण्ड बांध के लिए 4,744 विस्थापित परिवारों में से केवल 2,185 परिवारों को 17 पुनर्वास कैंम्पों में पुनर्स्थापित किया गया था लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ।”

आगे यह चर्चा करता है,

“भिलाई, बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट के कारण विस्थापित हुए परिवारों पर किये गये एक सर्वे के अनुसार विस्थापन पूर्व परिवारों के 90 फीसदी परिवारों के पास औसतन चार एकड़ जमीन थी वहां अब उनके केवल 70 फीसदी परिवारों के पास केवल 1,3 एकड़ जमीन है और इसका भी केवल 5 फीसदी हिस्सा ही सिंचित है।” (EPW, 15 May 2010, अनुवाद हमारा)

यह तथ्य इस बात को बतलाता है कि भारत में मध्य-पूर्व में विस्थापन, तबाही-बर्बादी का सिलसिला 1950 से ही जारी है। यह काम जहां पहले सरकार अपने तथाकथित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व विभागों के जरिये करती थी अब इसमें उनके साथ एकदम नंगेपन के साथ निजी क्षेत्र भी शामिल हो चुका है। जो बात उड़ीसा के लिए सही है वह पूरे भारत के लिए भी सही है। तालिका-1 में हम पहले ही देख चुके हैं कि आज भारत के 17 राज्यों के चालीस जिलों में करीब 3.69 लाख एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश की जा रही है।

उपरोक्त पहली बात कि यह पूंजीवादी विकास की एकदम आम विशेषता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे और उनके दोहन के लिए पूंजीपति वर्ग अपनी राज्य मशीनरी के साथ स्थानीय आबादी को खदेड़ने के लिए क्रूरता की किसी भी हद तक जाता है। उससे किसी किस्म के मानवता की उम्मीद पालना दिवास्वपन में जीना है। उसके इतिहास व चरित्र से अपरिचित होना है। ‘मानवीय चेहरे युक्त पूंजीवादी विकास’ का नारा धूर्त पूंजीवादी राजनीतिज्ञों या सामाजिक-जनवादियों द्वारा पैदा किया गया एक छलावा है।

दूसरी बात यह कि पूंजीवादी उत्पादन पद्धति प्राकृ-पूंजीवादी उत्पादन पद्धतियों को नष्ट करेगी ही। उसके समक्ष उत्पादन की पुरातन विधियों का टिके रहना असम्भव है। यह सम्भव ही नहीं है कि भारत में आदिवासी अपने सदियों पुरानी उत्पादन व रहन-सहन के तौर-तरीकों को बनाये या बचाये रख सके। उनके पार्थक्य का टूटना और आधुनिक वर्गीय संरचना का हिस्सा बनना लाजिमी है। ‘जल-जंगल-जमीन हमारे’ जैसे नारे अपने रूप में भले ही जनपक्षधर हों परन्तु अपनी अंतर्वस्तु में ये नारे ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिक्रियावादी व पश्चगामी है। ये उत्पादन की पुरातन पद्धति के साथ कालातीत हो रहे उत्पादन सम्बंधों को बचाने के प्रयास हैं। इन उत्पादन सम्बंधों को बचाने का प्रयास करने वाले गैर सरकारी संगठन पूंजीवाद की सेवा ही कर रहे होते हैं। वे अपने कार्यों, गतिविधियों तथाकथित आंदोलन के द्वारा यह भ्रम फैला रहे होते हैं कि उनके इन प्रयासों से इन कालातीत होती पद्धतियों व सम्बंधों को बचाया जा सकता है। इसी तरह ‘निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण नहीं सामुदायीकरण’ का नारा भी भ्रामक और प्रतिक्रियावादी है। इस नारे को लगाने वाले बड़े पैमाने के सामने छोटे पैमाने के उत्पादन को बचाने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। यह भी पूंजीवाद के अतीत व वर्तमान को देखते हुए सम्भव नहीं है कि सामुदायीकरण जैसी चीज व्यापक रूप में लागू हो।

हां! पूंजीपति वर्ग शोषित-उत्पीड़ित तबकों में अपने आधार को व्यापक बनाने तथा उनके बीच से सक्रिय व अग्रणी तत्वों को अपनी पांतों में शामिल करने के लिए सचेत तौर पर आत्मसातीकरण की भी प्रक्रिया चलाता है। यह प्रक्रिया हमारे देश में शिक्षा, रोजगार व चुनाव प्रणाली में आरक्षण व सीटें आरक्षित करने से लेकर कई प्रकार से चलती रहती है। इस प्रक्रिया के द्वारा भारत में उत्तरपूर्व, मध्य-पूर्व व अन्य स्थानों में आदिवासियों सहित शोषित-उत्पीड़ित वंचित तबकों से एक अतिअल्प हिस्से को जहां शासक वर्ग की पांतों में तथा अपेक्षाकृत इससे बड़े हिस्से को निम्न पूंजीपति वर्ग की पांतों में निरंतर शामिल किया है। यह प्रक्रिया बेदखली, विस्थापन, सर्वहाराकरण, तबाही-बर्बादी के साथ चलती है। इस तरह से यह आत्मसातीकरण की प्रक्रिया एक ऐसे आवरण का काम भी करती है जिसमें उपरोक्त सबको छुपा लिया जाता है।

तीसरी बात यह है कि हमारे देश में अभी भी प्राक्-पूंजीवादी उत्पादन पद्धति व सम्बंध मौजूद हैं। इनकी उपस्थिति मध्य-पूर्व भारत में सबसे अधिक है। इन राज्यों के इतर इनकी उपस्थिति भारत के अन्य राज्यों में भी है परन्तु वहां इनका आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन पद्धति व सम्बंधों से टकराव फिलवक्त इतना तीखा नहीं है। मध्य-पूर्व भारत में इनके लम्बे समय से बचे रहने में भारत के पूंजीवाद के पिछड़ेपन, पूंजीवादी विकास के असमतल होने, भूमि सम्बंधों में क्रांतिकारी ढंग से बदलाव के स्थान पर सुधारों की धीमी गति से परिवर्तन होने, भारतीय पूंजीवादी राज्य के पास पूंजी व तकनीक की अनुपलब्धता जैसी चीजों का योगदान है। भारत के पूंजीवाद का विकास जिस तरीके से हुआ है उसी में इस बात की गुजांइश रही है कि प्राक्-पूंजीवादी सम्बंध लम्बे समय तक अस्तित्वमान रहें। पिछले दो दशक में भारतीय राज्य की नीतियों में आये परिवर्तन ने इन राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की प्रक्रिया को तीव्र से तीव्रतर कर दिया है। ऐसी स्थिति में इन राज्यों में प्राक्-पूंजीवादी उत्पादन सम्बंधों का बचा रहना कठिन से कठिनतर होता जायेगा।

चौथी व सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य-पूर्व भारत में 'युद्ध क्षेत्र' जैसे हालात पैदा होने में भारतीय समाज की उपरोक्त जटिलताओं के साथ भारतीय समाज की दो ताकतों भारतीय राज्य व कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों खासतौर पर भाकपा (माओवादी) के दो नितान्त भिन्न कारणों से यहां एक दूसरे से तीखे संघर्ष में उतर पड़ना है। भारतीय राज्य की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की जा चुकी है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जो भारत के समाज को अर्द्ध सामंती-अर्द्ध औपनिवेशिक मानती है तथा उसके अनुरूप भारत में क्रांति की मंजिल को नवजनवादी क्रांति मानती है, अपने दीर्घकालिक लोकयुद्ध की रणनीति के तहत मध्य-पूर्व भारत के इन क्षेत्रों को बेहद अनुकूल समझती रही है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश के ऐसे जिले जो भौगोलिक दृष्टि से इस रणनीति के अनुरूप रहे हैं को वे अपने आधार क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए दशकों से प्रयासरत रहे हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्र वही हैं जहां खनिज सम्पदा के विशाल भण्डार भी हैं। आदिवासी जो एक तरह से भारतीय समाज से पार्थक्य की अवस्था में चले आ रहे थे पिछले एक दशक से उनके निवास स्थल खासकर ऐसी जगह बन गये जहां भारतीय पूंजीवादी राज्य खनिज व अन्य प्राकृतिक सम्पदा के दोहन के लिए रणनीति बनाकर उतरा वहीं भाकपा (माओवादी) अपनी क्रांति की समझदारी की रणनीति के तहत अपने कामों का विस्तार करने का प्रयत्न करने लगी। कई स्थलों पर उनका काम व प्रभाव वर्षों से था। भारतीय राज्य ने भाकपा (माओवादी) पर प्रतिबंध लगा व उसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर उसके दमन व उसे जनसमुदाय से अलगाव में डालने की हरचंद कोशिश की है। इसी तरह माओवादी पार्टी ने अपने ओर से इसके प्रतिकार व जनसमुदाय में अपने आधार को बनाये रखने की हर सम्भव कोशिश की है। उन्हें समय-समय पर आम जनता का समर्थन व सहयोग हासिल होता रहा है। भारतीय राज्य के क्रूर दमन के बावजूद वे बड़ी-बड़ी कुर्बानियां देकर भारतीय राज्य की नीतियों और मंसूबों में अड़गे डाल रहे हैं। (भाकपा (माओवादी) की रणनीति और रणकौशल की आलोचना हम लाल सलाम के पूर्व अंकों में पहले ही कर चुके हैं अतः हम उसे यहां पर दुहरायेंगे नहीं।)

भारतीय राज्य के लिए भाकपा (माओवादी) व अन्य नक्सलवादी कितनी चिंता का विषय हैं यह इसके लिए हम भारत सरकार की आंतरिक सुरक्षा पर सालाना रिपोर्ट (2010-11) के कुछ अंश उद्धृत करेंगे। यह रिपोर्ट कहती है।

“वामपंथी अतिवाद (left wing Extremism-LWE)

“एक सरसरी निगाह

2.7.1 जमीनी स्तर पर सरकारी ढांचे की कार्यकारी अपर्याप्ताओं द्वारा पैदा किये गये निर्वात में वामपंथी अतिवादी कार्य करते हैं। वे स्थानीय मांगों को उठाते हैं और आबादी के सबसे कम सुविधा प्राप्त व सुदूर हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच नजर अंदाज किये जाने और अन्याय से प्रचलित असंतोष और भावना का फायदा उठाते हैं। वामपंथी अतिवादियों द्वारा रेल, सड़कें, बिजली और टेलीकाम जैसी अवरचना सहित विकास कार्यों को हिंसा और आतंक के जरिये चलाने व लागू करने से रोका जाता है। और जमीनी स्तर पर सरकारी ढांचे को अप्रभावकारी होने जैसा दिखाया जाता है। सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने का भाकपा (माओवादी) का दर्शन हमारे संसदीय जनतंत्र के लिए स्वीकार्य नहीं है और किसी भी कीमत पर इसे कुचलना होगा। सरकार ने भाकपा (माओवादी) को हिंसा छोड़ने और बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है। इसे अभी तक उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

“2.7.2 कुछ दशकों से कई वामपंथी अतिवादी गुप देश के कुछ हिस्सों में काम करते रहे हैं। 2004 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत उस समय आंध्र प्रदेश में कार्यरत पीपुल्स वार गुप और बिहार तथा उससे जुड़े क्षेत्रों में उस समय कार्यरत माओवादी कम्युनिस्ट सेण्टर (एम सी सी) के बीच विलय होकर भाकपा (माओवादी) बनायी गयी। भाकपा (माओवादी) विभिन्न वामपंथी गुपों के बीच सबसे अधिक प्रभावशाली बनी हुई है। जो कुल वामपंथी अतिवादी घटनाओं के 90% से ज्यादा के लिए ओर इसके परिणामस्वरूप 95% हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वामपंथी अतिवादी हिंसा की राज्यवार सूची निम्न तालिका में दी गयी है।

(पृष्ठ 20-21, अनुवाद हमारा)

तलिका-11						
राज्यवार वामपंथी अतिवादी हिंसा की घटनाएं, 2008 से 2010						
राज्य	2008		2009		2010	
	घटनाएं	मौते	घटनाएं	मौते	घटनाएं	मौते
आन्ध्र प्रदेश	92	46	66	18	100	24
बिहार	164	73	232	72	307	97
छत्तीसगढ़	620	242	529	290	625	343
झारखंड	484	207	742	208	501	157
महाराष्ट्र	68	22	154	93	94	45
मध्य प्रदेश	35	26	01	-	07	01
उड़ीसा	103	101	266	67	218	79
उत्तर प्रदेश	04	-	08	02	06	01
प. बंगाल	35	26	255	158	350	256
अन्य	14	04	05	-	04	-
कुल	1591	721	2258	908	2212	1003

स्त्रोत : गृह मंत्रालय, भारत सरकार

इसके बाद यह रिपोर्ट विस्तार से इस बात की चर्चा करती है कि 'वामपंथी अतिवाद' से निपटने के लिए भारतीय राज्य क्या-क्या कदम उठा रहा है। इण्डियन रिजर्व बटालियन, कोबरा बटालियन (COBRA- commando Battalions for Resolute Actions)] सी आई ए टी स्कूल (Counter Insurgency and Anti Terrorist schools) आदि की चर्चा करने के बाद यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि कितना धन इस तरह के अर्द्ध सैनिक बलों, पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के साथ विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। आदिवासियों की समस्याओं के सम्बंध में उठाये गये कदमों में यह रिपोर्ट 'सिड्यूल ट्राइब्स एण्ड अदर ट्रेडीशनल ड्वेलरस ;रिकोग्नाइजेशन फारेस्ट राइट्स एक्ट 2006 (Scheduled Tribes and other Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006) तथा झारखण्ड में आदिवासियों के खिलाफ वनों से सम्बन्धित एक लाख केशों को वापस लेने का जिक्र करती है।

यह वार्षिक रिपोर्ट हमारे सामने यह तथ्य रखती है कि 'वामपंथी अतिवाद' से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल व बिहार हैं। बिहार को छोड़कर बाकी सभी राज्य वही हैं जहां पर विशाल खनिज सम्पदा है, जहां पर भारी पैमाने पर पूंजी निवेश हो रहा है, जहां पर भारी पैमाने पर भू-अधिग्रहण की कार्यवाहियां चल रही हैं।

मध्य पूर्व भारत में माओवादी, आदिवासियों, छोटे-मझोले किसानों व खेतीहर मजदूर आबादी द्वारा किये जा रहे प्रतिरोध ने भारतीय राज्य को कई जगह पीछे हटने को बाध्य किया है परन्तु भारतीय राज्य अपने आपको और अधिक काले कानूनों और आधुनिक हथियारों से युक्त बलों से सुसज्जित कर रहा है। उसका प्रतिक्रियावादी दमनात्मक चेहरा और अधिक उजागर होता जा रहा है। वह क्रूरता की एक के बाद एक मिसालें कायम कर रहा है।

मध्य पूर्व भारत में चल रहे प्रतिरोध संघर्षों की कई सीमाएं हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि इन संघर्षों को भारत के मजदूर वर्ग का नेतृत्व, सहयोग व समर्थन हासिल नहीं है हालांकि मजदूर वर्ग में सहानुभूति अपने वर्गीय सहजबोध के कारण मौजूद है। जहां तक भाकपा-माओवादी का सवाल है उसकी क्रांति की मंजिल की गलत समझदारी के साथ मजदूर वर्ग में उसके द्वारा अपने कामों को केन्द्रित न करना उसे भारतीय पूंजीवादी राज्य को शिकस्त देने से कोसों दूर रखता है।

मध्य पूर्व भारत में मौजूद आदिवासी समुदाय और किसान वर्ग विभेदित होकर इसकी भारी संख्या भारत के सर्वहारा वर्ग का हिस्सा बन रही है और बनती जायेगी। यही उनकी ऐतिहासिक नियति है।

इस ऐतिहासिक नियति के बावजूद भारत के सर्वहारा वर्ग के सचेत प्रतिनिधियों कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की स्पष्ट समझ है कि भारतीय राज्य देशी पूंजी व साम्राज्यवादी पूंजी के इस तीव्र आक्रमण का जुझारु विरोध किया जाना चाहिए। आदिवासी समुदाय, किसानों के ऊपर ढाये जा रहे जुल्म का तीव्र विरोध किया जाना चाहिए। समाजवादी क्रांति के हित में यह है कि अधिक से अधिक छोटे-मझोले किसान व आदिवासी समुदाय के लोग अपने हितों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति को बनाये रखते हुए समाजवादी क्रांति में सर्वहारा के नेतृत्व में भागीदार व सहयोगी बनें और समाजवाद में प्रवेश करें। आदिवासी समुदाय, किसान सभी उत्पीड़ित- शोषित वर्गों-तबकों की मुक्ति तभी हो सकती है जब भारतीय समाज में समाजवाद कायम हो। भारतीय पूंजीपति वर्ग और उसके राज्य को निर्णायक चुनौती आदिवासी, किसानों और अन्य तबकों के संघर्षों से कदापि नहीं मिल सकती है। इन वर्गों-तबकों के संघर्ष उसकी सत्ता को नष्ट नहीं कर सकते हैं। भारतीय पूंजीपति वर्ग की सत्ता को धूल में मिलाने की क्षमता केवल और केवल भारतीय सर्वहारा वर्ग के पास में है। औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में ही भारत के अन्य वर्ग और तबके मिलकर सही रणनीति व रणकौशल को अपनाते हुए ही ऐसे क्रांतिकारी संघर्षों को जन्म दे सकते हैं जो पूंजीवादी राज्य को ध्वस्त करे और सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी राज्य का निर्माण करे। इसके लिए भारत के सर्वहारा वर्ग को सबसे पहले अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की आवश्यकता है।

भारत का सर्वहारा वर्ग अपने क्रांतिकारी संघर्षों को अपनी पार्टी के नेतृत्व में संगठित और विकसित करके ही भारत के आदिवासी, किसानों सहित सभी शोषित-उत्पीड़ित तबकों को नेतृत्व, प्रेरित और उनके संघर्षों में किसी किस्म की तात्कालिक या दीर्घकालिक सफलता की गारण्टी कर सकता है।

भारतीय समाज में समाजवाद के निर्माण की पहली शर्त अखिल भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन व निर्माण है। सर्वहारा वर्ग की जागृति, पहलकदमी व क्रांतिकारी संघर्षों का जन्म वह दूसरी शर्त है जिसके जरिये भारतीय पूंजीपति वर्ग और साम्राज्यवाद को वास्तविक चुनौती मिलनी शुरू हो सकती है। सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संघर्षों का दबाव ही वह वास्तविक दबाव हो सकता है जिसके कारण भारतीय पूंजीवादी राज्य तात्कालिक तौर पर अपनी व्यवस्था, नीतियों में आसन्न क्रांति के भय से सुधार करने को मजबूर हो। यद्यपि सुधार के जरिये यह क्रांतिकारी वर्गों व तबकों को क्रांति से विमुख करने की कोशिशें अतीत में भी करता रहा है और भविष्य में भी करेगा।

मध्य-पूर्व भारत में पूंजी के आक्रमण व हमले को मात्रा स्थानीय जनसमुदाय के विरोध व संघर्ष से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए भारत के सर्वहारा वर्ग और खासकर औद्योगिक सर्वहारा वर्ग का अपनी पार्टी के गठन व निर्माण, जागृति, पहलकदमी और क्रांतिकारी संघर्षों की दरकार है।

.....